



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938

No. 469]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 674(अ).— केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245ण की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अग्रिम निर्णय प्राधिकरण नियमावली, 1994 (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, वेतन और भत्ते) को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और निबंधन और वेतन और भत्ते का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें तथा निबंधन वेतन तथा भत्ते) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(क) "अधिनियम" से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते आदि : अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अनुज्ञेय समान दर पर मासिक वेतन का हकदार होगा :

परंतु ऐसे वेतन, जो पेशन के साथ और पेंशन के समतुल्य के किसी अन्य रूप से सेवानिवृत्त के फायदे के साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले उसके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय ऐसे भत्ते और अन्य फायदों का हकदार होगा।

(3) उपाध्यक्ष, शीर्ष वेतनमान पर मासिक वेतन का हकदार होगा :

परंतु ऐसे वेतन, जो पेशन के साथ और पेंशन के समतुल्य के किसी अन्य रूप से सेवानिवृत्त के फायदे के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले उसके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।

(4) उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय समान दर पर भत्तों का हकदार होगा।

4. सदस्य के वेतन और भत्ते आदि : सदस्य 75500-80000 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा

परंतु ऐसा वेतन से, पेंशन और पेंशन के समतुल्य उपादान, अभिदाय निधि का नियोजक अंशदान या किसी अन्य रूप, सेवा निवृत्त फायदे, यदि कोई हो, उसके द्वारा निकाला गया है या निकाला जाना है, की राशि को घटा दिया जाएगा।

5. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता : सदस्य, केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतन पाने वाले समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय समान दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करेगा।

6. छुट्टी : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय ऐसी छुट्टी का हकदार होंगे :

परंतु किसी सदस्य द्वारा सरकार से सेवानिवृत्त होने पर नगद भुनाई जाने वाली छुट्टी लेने और प्राधिकरण में कार्यकाल की समाप्ति पर नगद भुनाई जाने वाली छुट्टी कुल 300 दिनों तक निर्बंधित होगी।

7. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की छुट्टी मंजूर करने का सक्षम प्राधिकारी होगा और भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने का सक्षम प्राधिकारी होगा

8. कार्यालय की शर्त : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अपना पद संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस रूप में पद धारण करेंगे परंतु तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियोजन के लिए पात्र होंगे :

परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा -

(क) किसी अध्यक्ष की दशा में, सत्तर वर्ष की आयु :

(ख) किसी उपाध्यक्ष की दशा में, पैसठ वर्ष की आयु : और

(ग) किसी सदस्य की दशा में बासठ वर्ष की आयु।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी।

9. अभिदाय भविष्य निधि में अंशदान : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार के सेवकों की पुनर्नियोजन पर लागू होने वाली ऐसी शर्तों के अधीन अभिदाय भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अनुसार उनकी नियुक्ति की तारीख से अभिदाय भविष्य निधि में अंशदान किए जाने के हकदार होंगे।

10. सेवा की अन्य शर्तें : (1) अध्यक्ष की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) और उसके अधीन बनाए गए नियमों से शाशित होंगे और अध्यक्ष समय समय पर उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीशों को मिलने वाले सभी भत्तों, परिलब्धियों, विशेषाधिकारों, सुखसुविधाओं और सुविधाओं के भी हकदार होंगे।

(2) उपाध्यक्ष की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को लागू के समान होंगे।

(3) सदस्य की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार के अन्य समतुल्य अधिकारियों को यथा लागू के समान होगी।

11. अवशिष्ट उपबंध : अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों के सेवा शर्तों से संबंधित विषय, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं, उसके विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक मामले निर्दिष्ट किए जाएंगे और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

12. शिथिल करने की शक्ति : केन्द्रीय सरकार को इन नियमों को किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी।

[फा. सं. क्यू-29016/2/2015-प्रशा.1सी(एएआर)]

एस. भौमिक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2016

G. S. R. 674(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 245-O of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of Authority for Advance Rulings (Salaries and Allowances, Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, regulating the terms and conditions of service and salaries and allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Authority for Advance Rulings, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Authority for Advance Rulings (Terms and Conditions of Service and Salaries and Allowances of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(b) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Salary, allowances, etc. of Chairman and Vice-Chairman.—(1) The Chairman shall be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to a Judge of the Supreme Court:

Provided that such salary, which together with the pension and pension equivalent of any other form of retirement benefit, shall not exceed the last pay drawn by him before retirement as a Judge of Supreme Court.

(2) The Chairman shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court.

(3) The Vice-Chairman shall be entitled to a monthly salary at the Apex scale:

Provided that such salary, which together with the pension and pension equivalent of any other form of retirement benefit, shall not exceed the last pay drawn by him before retirement as a Judge of High Court.

(4) The Vice-Chairman shall be entitled to allowances at the same rate as is admissible to a Judge of a High Court.

4. Pay and allowances, etc. of Members.—A Member shall receive pay in the scale of Rs. 75500-80000 per month:

Provided that such pay shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of gratuity, employer's contribution to the contributory fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

5. Dearness Allowance and City Compensatory Allowance.—A Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance at the rates admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

6. Leave.—A person appointed as Chairman or Vice-Chairman or Member shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Central Government under Central Civil Service (Leave) Rules, 1972:

Provided that the encashment of leave taken on retirement from Government by a Member and the leave to be encashed at the end of the tenure in the Authority shall be restricted to a total of 300 days.

7. Leave Sanctioning Authority.—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to a Vice-Chairman or Member and the President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

8. Term of Office.—(1) The Chairman or Vice-Chairman or Member shall hold office as such for a term of three years from the date on which he enters upon his office but shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided that no Chairman or Vice-Chairman or Member shall hold office as such after he has attained-

- (a) in the case of any Chairman, the age of seventy years;
- (b) in case of any Vice-Chairman, the age of sixty-five years; and
- (c) in the case of any Member, the age of sixty-two years.

(2) A person, when appointed as Member, shall seek retirement from Government service before he enters upon his office as a Member.

9. Contribution to Contributory Provident Fund.—The Chairman, Vice-Chairman and Members shall be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund from the date of their appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants.

10. Other conditions of service.—(1) The conditions of service of the Chairman for which no provision is made in these rules, shall be governed by the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958) and the rules framed thereunder and the Chairman shall also be entitled to all allowances, perquisites, privileges, amenities and facilities as are admissible to sitting Judges of the Supreme Court from time to time.

(2) The conditions of service of the Vice-Chairman for which no provision is made in these rules, shall be the same as are applicable to a serving Judge of a High Court under the High Court Judges (Salaries and Condition of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and the rules framed thereunder.

(3) The conditions of service of the Members in respect of matters, for which no provision is made in these rules, shall be the same as may be applicable to other equivalent officers of the Central Government.

11. Residuary provisions.—Matters relating to the conditions of service of the Chairman or Vice-Chairman or other Members with respect to which no express provision has been made in these rules be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Chairman or Vice-Chairman or the other Members.

12. Power to relax.—The Central Government shall have the power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[F. No. Q-29016/2/2015-Ad.1C (AAR)]

S. BHOWMICK, Under Secy.